

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई

1. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना के लिए FPO/FPC/FIG/ किसान/समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
2. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु FPO/FPC/FIG/ किसान/समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK प्रतिवर्ष 1000, 2000, एवं 3000 मे0 टन क्षमता वाले इकाईयोंका कुल लागतमूल्य क्रमशः 16.00 लाख रू0, 32.00 लाख रू0 एवं 50.00 लाख रू0 के लिए 40 प्रतिशत अनुदान राशि या अधिकतम क्रमशः 6.40 लाख रू0, 12.80 लाख रू0 एवं 20.00 लाख रू0, दोनों में से जो कम हो अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
3. उद्यमी द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन करना अनिवार्य होगा जिसके लिए 100 रू0 के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा। परियोजना कार्य अधूरा छोड़ने एवं गलत तरीके से अनुदान का लाभ लेने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा अनुदान राशि एक मुश्त वसुल की जाएगी।
4. कम्पनी/पार्टनरशीप द्वारा परियोजना प्रस्ताव समर्पित करने की स्थिति में जमीन का कम्पनी/पार्टनरशीप के नाम पर कम-से-कम 15 वर्षों का रजिस्टर्ड लीज होना अनिवार्य होगा।
5. **आवेदन की विधि:—**
 - (क) योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑन-लाईन आवेदन करना होगा।
 - (ख) योजना का कार्यान्वयनश्रेणीवार/कोटिवार लाभुकों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर सम्पादित किया जाएगा, परन्तु यह आवेदक द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने के उपर निर्भर करेगा।
 - (ग) विगत वर्षों में इस योजना का लाभ लेने वाले इसके हकदार नहीं होंगे।
 - (घ) सभी वांछित कागजातों के साथ पूर्णरूपेण भरे गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
 - (ङ.) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए इच्छुक लाभार्थी/उद्यमी ऑन-लाईन आवेदन की अंतिम तिथि 31.10.2023 तक ऑन-लाईन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे। **आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करेंगे:—**
 - i. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का परियोजना प्रस्ताव।
 - ii. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई के स्थल का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन लगान रसीद।
 - iii. बैंक द्वारा ऋण देने का सहमति पत्र एवं बिना बैंक ऋण का परियोजना कार्य अपने व्यय पर पूरा करने की स्थिति में आवेदक का विहित प्रपत्र-1 में शपथ पत्र।

- iv. परियोजना स्थल का रोड मैप स्केच।
- v. आवेदक का आधार कार्ड।
- vi. आवेदक/कम्पनी का पैन कार्ड। अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की प्रति।
- vii. FPO/FPC/FIG/किसान/समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन करने के लिए 100 रु0 के नन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र-2 में)।
- viii. कम्पनी/पार्टनरशीप की स्थिति में कम्पनी/पार्टनरशीप के नाम पर कम से कम 15 वर्षों का भूमि का रजिस्टर्ड लीज की प्रति।

6. लक्ष्य का निर्धारण:—

योजनान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः का निर्धारण **80.15605%, 18.58536% एवं 1.25859%** के अनुपात में विखंडन कर भौतिक लक्ष्य का निर्धारण होगा। वित्तीय सीमा के अंदर भौतिक लक्ष्य में वृद्धि हो सकती है।

7. आवेदन पत्र की जाँच एवं परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया :—

- (क) आवेदक का आवेदन पत्र एवं उपर्युक्त सभी कागजातों की जाँच कृषि निदेशालय द्वारा की जाएगी।
- (ख) सभी कागजात पूर्ण एवं सही पाये जाने पर आवेदक के परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति 15 दिन के अंदर निर्धारित प्रपत्र-3 में कृषि निदेशक द्वारा प्रदान की जायेगी।
- (ग) इससे सम्बंधित सभी कागजातों का संधारण कृषि निदेशालय अवस्थित बिहार राज्य जैविक मिशन में किया जाएगा।

8. वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता की जाँच:— कम्पनी द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता जाँच हेतु लॉटवार/नमूना सम्बंधित जिला/अनुमण्डलकृषि पदाधिकारी द्वारा संग्रह किया जाएगा तथा इसे विश्लेषण हेतु सक्षम अधिकृत गुण नियंत्रण प्रयोगशालामें भेजा जाएगा। कम्पनी/प्रतिष्ठान द्वारा लॉटवार नमूना की गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था स्वयं भी करनी पड़ेगी। वर्मी कम्पोस्ट के नमूना मानक पाये जाने की स्थिति में ही उद्यमी द्वारा उस लॉट का उत्पादित मात्रा को भंडार पंजी में अंकित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अमानक वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादित मात्रा को भंडार पंजी में अंकित नहीं किया जायेगा।

9. वर्मी कम्पोस्ट विपणन हेतु प्राधिकार पत्र:— गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से नमूना का विश्लेषण प्रतिवेदन मानक प्राप्त होने पर सम्बंधित आवेदक द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विपणन के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु ऑन-लाईन आवेदन www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर किया जाना है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किया जाएगा :—

- (क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र एवं स्वअभिप्रमाणित 01 फोटो।
- (ख) **पंजीयन शुल्क**:-रु0 2250 रु0 का कोषागार चालान विपत्र कोड—
R-0401008000001 में जमा करने की मूलप्रति।
- (ग) विहित प्रपत्र-4 में शपथ पत्र।
- (घ) पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ङ.) आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (च) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/रजिस्टर्ड किराया एकरारनामा की प्रति (15 वर्ष के लिए 1000 स्टाम्प पेपर पर)।
- (छ) गुण नियंत्रण सक्षम प्रयोगशाला द्वारा निर्गत अद्यतन विश्लेषण प्रतिवेदन की प्रति।
- (ज) FCO की धारा 24 के तहत नियुक्ति पत्र।
- (झ) श्रोत 'O' की प्रति।
- (ञ) अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की प्रति।
- (ट) Authorizaton Letter
- (ठ) चरित्र प्रमाण पत्र।
- (ड) GST प्रमाण पत्र।
- (ढ) माप तौल विभाग से बटखरों का पंजीकरण/सत्यापन अद्यतन प्रमाणपत्र की छाया प्रति।
- (ण) अन्य आवश्यक वांछित कागजात की प्रति।

आवेदन पत्र एवं उपर्युक्त वांछित कागजात पूर्ण एवं सही पाये जाने एवंसंबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से विनिर्माण एवं गोदाम स्थल का ऑन-लाईन सत्यापन एवं अनुशंसा के आलोक में कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इन्हें वर्मी कम्पोस्ट विपणन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके बाद ही उद्यमी वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री कर सकते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट के विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु ऑन-लाईन आवेदन www.dbtagriculture.bihar.gov.in समर्पित किया जायेगा। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से विनिर्माण एवं गोदाम स्थल का ऑन-लाईन सत्यापन एवं अनुशंसा कराने के उपरांत तथा उद्यमी द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का मानक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण किया जा सकेगा।

10. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :-

- (क) स्वीकृति पत्र में अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
- (ख) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई हेतु FPO/FPC/FIG/किसान/समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत या अनुदान दी जाने वाली अधिकतम राशि, दोनों में से जो कम हो, देय होगा। अनुदान राशि का भुगतानतीन किस्तों में देय होगा अर्थात् कुल अनुदान राशि 50:25:25 प्रतिशत के अनुपात में देय होगा। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना के आधारभूत संरचना यथा-सिविल वर्क्स, प्लांट एवं मशीनरी के पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतान की जायेगी। द्वितीय किस्तका भुगतान कुल उत्पादन क्षमता का कम-से-कम 50 प्रतिशत उत्पादन पूर्ण होने के पश्चात् 25 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतान की जायेगी। तृतीय

किस्त का भुगतान पूर्ण उत्पादन क्षमता के साथ उत्पादन होने पर शेष 25 प्रतिशत अनुदान राशि भुगतान की जायेगी।

क्रं. सं.	लामुकों की श्रेणी	परियोजना का लागत मूल्य (लाख रू० में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान दी जाने वाली अधिकतम राशि (लाख रू० में)	क्षमता (मे०ट०)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय वर्ष 2023–24	
							प्रति इकाई अनुदान दी जाने वाली राशि (लाख रू० में)	वित्तीय लक्ष्य प्रति इकाई/अनुदान के उपरांत दी जाने वाली कुल राशि का 50:25:25 प्रतिशत (लाख में)
1	FPO/FPC/FIG / किसान / समूह /उद्यमी / स्टार्ट-अप / गैर सरकारी संगठन/ KVK	16.00	40%	6.40	1000	0	0	0
		32.00		12.80	2000	0	0	0.00
		50.00		20.00	3000	10	20	200.00
कुल—						10		200.00

(ग) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के अनुदान भुगतान कृषि निदेशक, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र-7 में आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा तथा आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करेंगे :-

- I. **भंडार पंजी** :-सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित (साथ में मूल पंजी जो अवलोकन के बाद वापस की जाएगी) भंडार पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
- II. **बिक्री पंजी** :-सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित (साथ में मूल पंजी जो अवलोकन के बाद वापस की जाएगी) प्रपत्र-8 में संधारित बिक्री पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
- III. लॉट वार उत्पादित, बिक्री की गई एवं अवशेष मात्रा सम्बंधी प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र-9 में)
- IV. उत्पादक द्वारा निर्गत स्रोत "ओ" प्रमाण पत्र, नियुक्त डीलर तथा बिक्री की मात्रा सम्बंधी प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र-10) प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें।
- V. गुणवत्ता जाँच हेतु लॉटवार जिला/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी द्वारा लिए गए नमूना का अद्यतन कम से कम पाँच मानक नमूने का विश्लेषण प्रतिवेदन एवं प्रपत्र 'J' की छायाप्रति।
- VI. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं विमुक्ति सम्बंधी प्रतिवेदन (बैंक ऋण स्टेटमेंट के साथ) जिन्होंने बैंक से ऋण लिया हो।
- VII. रोकड़पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति के साथ संधारित रोकड़पुस्त की प्रति। (साथ में मूल पंजी जो अवलोकन के बाद वापस की जाएगी)
- VIII. संबंधित वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रति।
- IX. माप तौल विभाग से बटखरों का पंजीकरण/सत्यापन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- X. सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा परियोजना के सिविल कन्स्ट्रक्शन में किये गये कार्य का मापी प्रतिवेदन (मापी-पुस्त)।
- XI. परियोजना के सिविल संरचना का उद्यमी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ।
- XII. सभी संलग्न अभिलेख आवेदक द्वारा स्व-अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।

- (घ) प्रथम किस्त अनुदान राशि का भुगतान संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (निर्धारित प्रपत्र-11) एवं अनुशंसा के आलोक में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
- (ङ.) द्वितीय एवं तृतीय किस्त अनुदान राशि का भुगतान संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (निर्धारित प्रपत्र-11) एवं अनुशंसा के आलोक में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
- (च) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण एवं उत्पादन इस प्रकार पूर्ण करेंगे कि अनुदान की तीनों किस्त की राशि इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च-24 के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया जा सके। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान नहीं होगा इसके लिए उद्यमी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

11. आवेदक/उद्यमी का दायित्व:-

- (क) उद्यमी को प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, विपणन एवं अवशेष से सम्बंधित प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र-9 में) कृषि निदेशक, बिहार, पटना एवं सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (ख) उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 में उल्लेखित सभी धाराओं का पालन करते हुए वांछित कागजातों का संधारण करना होगा।
- (ग) उद्यमी को सभी आवश्यक उपकरण रखना अनिवार्य होगा।
- (घ) उद्यमी द्वारा कार्यान्वयन अनुदेश में अंकित सभी शर्तों का पालन करने पर ही अनुदान देय होगा।
- (ङ.) वर्मी कम्पोस्ट का विपणन थोक उर्वरक बिक्रेताओं को ही करना होगा। किसान को सीधे वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री नहीं करेंगे।
- (च) वर्मी कम्पोस्ट सुखाने हेतु ओपन शेड एवं गोदाम सही रूप में रखना अनिवार्य होगा।
- (छ) बोरा पर स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का लॉट सं०, पोषक तत्व की मात्रा, कुल मूल्य आदि लिखना अनिवार्य होगा।
- (ज) प्रत्येक लॉट का गुणवत्ता सम्बंधी विश्लेषण प्रतिवेदन प्रयोगशाला द्वारा मानक प्राप्त होने के पश्चात ही विपणन करेंगे।
- (झ) किसी भी परिस्थिति में अमानक वर्मी कम्पोस्ट बिक्री नहीं करेंगे। अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे।

12. सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) का दायित्व:-

- (क) स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का अनुश्रवण करेंगे।
- (ख) व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट पीट इकाई निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो।
- (ग) योजना का अनुदान भुगतान हेतु प्रपत्र-11 में निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ संयुक्त जाँच उपरांत अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगे।

13. जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व:-

- (क) स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का अनुश्रवण करेंगे।
- (ख) योजना का अनुदान भुगतान हेतु प्रपत्र-11 में निरीक्षण प्रतिवेदन में सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के साथ संयुक्त जाँच उपरांत अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगे।

14. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्व:—

- (क) प्रमंडल स्तर पर स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का अनुश्रवण करेंगे।
- (ख) योजना का अनुदान भुगतान हेतु प्रपत्र-11 में निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ संयुक्त जाँच उपरांत अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगे।

15. कृषि निदेशक का दायित्व—

इस कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा प्रगति से विभाग को अवगत कराना।

बिना बैंक ऋण के परियोजना पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र

मैंपिता/पति.....
...ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....थाना.....
.....प्रखंड.....जिला.....राज्य.....का रहने वाला/वाली
हूँ। मैं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना करना चाहता/चाहती हूँ।
इसके लिए मैं सत्य एवं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित बातों का शपथ लेता/लेती हूँ :-

1. यह कि मैं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत सभी निदेशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।
2. यह कि मैं बिना बैंक ऋण का ही प्रस्तावित परियोजना का कार्य ससमय पूरा करूँगा/करूँगी।
3. यह कि मैंने प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए राशि की व्यवस्था कर ली गई है।
4. यह कि परियोजना की स्थापना का कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने पर मैं अनुदान का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
5. यह कि व्यवस्था की गई राशि का विवरण मैं अपने आयकर रिटर्न में अंकित करूँगा/करूँगी।
6. यह कि परियोजना अपूर्ण होने की स्थिति के लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में पूर्ण कराने हेतु बैंक ऋण लेने की अनुमति नहीं माँगूंगा/माँगूगी।

उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार को मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

10 वर्षों तक लगातार व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु शपथ पत्र

मैंपिता/पति.....
ग्राम.....,पोस्ट....., ग्राम पंचायत.....थाना.....
प्रखंड.....जिला.....राज्य..... का रहने
वाला/वाली हूँ। मैं व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पाद इकाई की स्थापना करना
चाहता/चाहती हूँ। इसके लिए मैं सत्य निष्ठापूर्वक निम्न बातों का शपथ लेता/लेती
हूँ

1. यह कि मैं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना कर उत्पादन करूँगा/करूँगी।
2. यह कि मैं अनुदान राशि प्राप्त करने के बाद लगातार 10 वर्षों तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कार्य चालू रखूँगा/रखूँगी।
3. यह कि 10 वर्षों तक परियोजना में पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कार्य चालू नहीं रखने की स्थिति में सरकार को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा प्राप्त की गई अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त वसूल कर लें।
4. यह कि मार्च-24 के प्रथम सप्ताह के पूर्व तक ही अंतिम दावा प्रस्तुत करूँगा, विलंब की स्थिति में मैं अनुदान भुगतान का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
5. यह कि व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा नहीं लिया गया है।
6. यह कि किसी भी अनियमितता हेतु सरकार मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सकती है।
7. मेरे द्वारा समर्पित कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना को मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा प्राप्त की गई अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

**व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट विपणन अनुज्ञप्ति/नवीकरण हेतु प्राधिकार पत्र के लिए
शपथ-पत्र**

मैंपिता/पति.....ग्राम.....
पोस्ट.....ग्राम पंचायत.....थाना.....प्रखंड.....
जिला.....राज्य..... का रहने वाला/वाली हूँ। मैं कार्बनिक के विपणन हेतु
प्राधिकार पत्र के लिए सत्य एवं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित बातों का शपथ लेता/लेती हूँ:-

1. यह कि मेरा विपणन व्यापार स्थल निम्न प्रकार से होगा :-

जिला..... प्रखंड..... ग्राम.....खेसरा सं०.....
खाता संख्या..... रकबा.....
चौहद्दी- उत्तर..... दक्षिण.....
पूरब..... पश्चिम.....

2. यह कि विगत 3 वर्षों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत दण्डित नहीं हुआ हूँ।
3. यह कि नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द नहीं हुआ है।
4. यह कि पूर्व का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित नहीं है।
5. यह कि गुणवत्ता पूर्ण मानक कार्बनिक/जैव उर्वरक की बिक्री करूँगा।
6. यह कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में उल्लेखित धारा का पालन करते हुए सभी कागजातों एवं पंजियों का संधारण करूँगा।

उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं।

शपथकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

बिक्री पंजी का संधारण का प्रपत्र

1. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:—
2. विपणन अनुज्ञप्ति सं० एवं तिथि:—
3. बिक्री का पूर्ण विवरण:—

क्र०सं०	तिथि	कुल उपलब्ध मात्रा (क्वी० में)	बिक्री का विवरण			बिक्री का नकद विपत्र संख्या एवं तिथि	क्रेता का हस्ताक्षर
			थोक उर्वरक विक्रेता का नाम एवं पता	विक्रेता का निबंधन सं० एवं वर्ष	बिक्री की मात्रा (क्वी० में)		
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रतिष्ठानकर्ता का हस्ताक्षर

व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, विपणन एवं अवशेष संबंधी प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की तिथि—

इकाई, मात्रा—मे0 टन में

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता—

विपणन अनुज्ञप्ति सं0 एवं निर्गत तिथि—

क्रं.सं.	माह एवं वर्ष	पूर्व का अवशेष	उत्पादन		कुल मात्रा	बिक्री		कुल मात्रा	अवशेष
			लॉट सं0	मात्रा		लॉट सं0	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रतिष्ठानकर्ता का हस्ताक्षर

स्त्रोत ओ प्रमाण पत्र एवं डीलर संबंधी नियुक्ति प्रतिवेदन

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता—

क्रं.सं.	स्त्रोत ओ निर्गत की तिथि	स्त्रोत ओ निर्गत सं०	थोक विक्रेता का नाम एवं पता जिसको निर्गत किया गया	थोक वर्मी कम्पोस्ट विक्रेता का प्राधिकार पत्र सं० एवं तिथि
1	2	3	4	5

प्रतिष्ठानकर्ता का हस्ताक्षर

